न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—16/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00157)

1. गोपाल,
2. रामसहाय,
3. सीताराम,
4. लक्ष्मीनारायण पुत्रान रामू, जाति मीना, निवासी देवापुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. ज्याना उर्फ जनधू देवी पत्नी जग्या उर्फ जगदीश जाति मीना निवासी देवापुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार बस्सी।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 05.08.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जिला जयपुर के आदेश दिनांक 05.12.2014 (प्रकरण संख्या 31/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम देवपुरा तहसील बस्सी में आराजी खसरा नम्बर 32, 58, 112, 125, 144 कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा स्थित है, उक्त भूमि का खातेदार जग्या पुत्र भगवाना, जाति मीना था, जग्या का दिनांक 19.05.2009 को स्वर्गवास हो गया तथा जग्या के स्वर्गवास पर उसकी भूमि का नामान्तरकरण संख्या 484 दिनांक 24.01.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया गया, अपीलान्ट को इसकी जानकारी होने पर उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जग्या उर्फ जगदीश की वसीतय दिनांक 23.03.2009 के आधार पर अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि प्रोबेट लेवे व अपीलान्ट को अपील अपने में निहित अधिकारों का दुरूपयोग करते हुऐ विधि विरूद्ध तौर पर निरस्त फरमा दी गई, जो आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट एक ही वंश के है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति जग्या के अपीलान्टान खास चाचा के लड़के भाई है एवं वसीयत सही थी व उसके गवाहान की ओर से शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये जिस पहलू पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय देने में गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट दोनों की मीना जाति से है व मीना जाति में महिला को पुराने हिन्दू उत्तराधिकर अधिनियम के तहत कोई अधिकार प्राप्त नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में भूल की है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वैसे भी स्वयं जग्या मृतक ने अपने मृत्यु के पूर्व विवादित भूमि के सम्बन्ध में एक वसीयत दिनांक 22.03.2009 को गवाहान के सामने कर नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाई व उक्त वसीयत के अनुसार उसने अपनी पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलान्ट के हक में की व सभी को अधिकारी घोषित किया व अपीलान्ट की ओर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के गवाहान के व अन्य के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर कोई गौर न कर व उसका अपने निर्णय तक में हवाला न देकर निर्णय देने में गंभीर कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अन्तर्गत धारा 133 व 135 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विरासत का नामान्तरकरण का अधिकार तहसीलदार में निहित है एवं रेस्पोडेन्ट जो कि एक महिला है व महिला को केवल मात्र भरण–पोषण के ही अधिकार है व ट्रान्सफरेबल अधिकार नही है, ऐसी स्थिति में उसे अकेली को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते थे बल्कि तहसीलदार को मृतक के वारिसान की जॉच करना आवश्यक था लेकिन तहसीलदार द्वारा मृतक के वारिसान की बिना जॉच किये ही अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार किया है जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न कर निर्णय देने में कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध न्याय की कोई आशा नही होने का आरोप लगाकर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य था कि वे अपीलान्ट की अपील पर सुनवाई न करते लेकिन उन्होने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय के 13 दिवस में निर्णय करने में भूल की है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2014 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2014 एवं नामान्तरकरण संख्या 484 पर तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 24.01.14 को निरस्त फरमाया जावें एवं नामान्तरकरण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकृत किये जाने की आज्ञा प्रदान करे व अपीलान्टस जो कि पुरूष सदस्य है व खास चाचाजात पुत्रान है, के नाम स्वीकार फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 484 वाके ग्राम देवापुरा तहसील बस्सी के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार बस्सी द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2014 अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पारित किया गया जो विधि सम्मत नही है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किन्तु उक्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2014 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.12.2014 एवं नामान्तरकरण संख्या 484 पर तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।